



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक: आर०एम०पी०यू०/सम्ब०/1362/2025

दिनांक: 05 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा-अलीगढ़ परिक्षेत्र के पत्र संख्या- 1401-03/2025-26 दिनांक 21.06.2025 एवं कार्यपरिषद की तत्सम्बन्धी अनुमति की प्रत्याशा क्रम संख्या 01 पर अंकित नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों को सहयुक्तता / संबद्धता प्रदान करते हुये शासन द्वारा स्वीकृत विषय / पाठ्यक्रम में पठन पाठन कार्य शुरू करने की अनुमति एवं प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	राजकीय महिला महाविद्यालय, भरापुरा, अलीगंज, एटा	कला संकाय विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संगीत वादन तबला, अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान), विज्ञान संकाय (रसायन, भौतिक, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) एवं वाणिज्य संकाय

05.07.25
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी समर्थ / AISHE, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. निजी सचिव, मा० कुलपति जी, राजा महेन्द्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा / अलीगढ़ मण्डल, आगरा।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
7. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, भरापुरा, अलीगंज, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव